तीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)

(28.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

सीपीबी सं. 1 खंड XXX

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन.. (ii)

प्राक्कथन... (iii)

प्रतिवेदन

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद हेतु अपात्र बोलीदाता अर्थात मेसर्स मेहता टयूब्स लिमिटेड पर विचार करने और उन्हें ठेका(के) और निविदा(एं) देने का आरोप लगाने संबंधी योगेश सारदा के अभ्यावेदन और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुबंध

याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3. श्री जी.सी.डोभाल	-	अपर निदेशक
4. श्री आनंद कुमार हांसदा	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का गठन याचिका समिति का तीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद हेतु अपात्र बोलीदाता अर्थात मेसर्स मेहता टयूब्स लिमिटेड पर विचार करने और उन्हें ठेका(के) और निविदा(एं) देने का आरोप लगाने संबंधी योगेश सारदा के अभ्यावेदन और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाईपर समिति का यह तीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 30वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
22 दिसंबर, 2021
1 पौष, 1943(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

प्रतिवेदन

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद हेतु अपात्र बोलीदाता अर्थात मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर विचार करने और उन्हें ठेका(के) और निविदा(एं) देने का आरोप लगाने संबंधी योगेश सारदा के अभ्यावेदन और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

याचिका समिति (17वीं लोक सभा) ने 12 फरवरी, 2021 को लोक सभा में 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद हेतु अपात्र बोलीदाता अर्थात मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर विचार करने और उन्हें ठेका(के) और निविदा(एं) देने का आरोप लगाने संबंधी योगेश सारदा के अभ्यावेदन और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है।

2. समिति ने इस मामले में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया और उन पर अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि समिति इस पर आगे विचार कर सके।

3. उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को आगामी पैराग्राफों में विस्तार से दिया गया है।

4. प्रतिवेदन के पैरा 18 से 23 में समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/ सिफारिशें की थीं :-

"<u>मझगांव डॉक लिमिटेड में निविदा प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता</u>

याचिका समिति, लोकसभा ने श्री योगेश सारदा के अभ्यावेदन, जिसमें माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अपात्र बोलीदाता अर्थात् मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर

विचार करने और परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइप्स और कॉपर पाइप्स की खरीद के लिए अनुबंध और निविदा(एं) सौंपने का आरोप लगाया गया था, की जांच करते हुए माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को अनुबंध देने के लिए निविदा प्रावधानों के अनुसार विचार किया गया था और अभ्यावेदनकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत थे। समिति ने याचिका समिति द्वारा तैयार की गई सुव्यवस्थित प्रश्न सूची के प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड से प्राप्त विस्तृत टिप्पणियों के साथ प्रारंभिक टिप्पणियों को एक साथ रखा और उन्हें उचित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए भेजा, जिसमें गोपनीय तरीके से यह कहा गया था कि उक्त निविदा निरस्त हो गई थी और एल-1 बोलीदाता, जिसका नाम मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड है, ने कच्चे माल के मूल्य बढ जाने के कारण आदेश को स्वीकार करने/कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त की थी।

समिति यह भी नोट करती है कि निविदा का खंड 3 (ए), धारा-एक केवल उन दस्तावेजों के बारे में बताता है जिन्हें बोलीदाता को अपने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना है। यदि कोई बोलीदाता अपने प्रस्ताव के साथ कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, इसमें ऐसे किसी मामले में बोली को अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है । समिति आगे नोट करती है कि जिन फर्मों ने विविध तकनीकी विवरण, यथा पाइप की बनावट, विनिर्माण प्रक्रिया, पिछली आपूर्ति का विवरण, टीएसपी का खंडवार अनुपालन, गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) के प्रारूप, वारंटी अवधि के लिए कथित विचलन, विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ अनुरूपता प्रमाण पत्र, विधिवत भरा हुआ विचलन फार्म आदि, प्रस्तुत नहीं किए थे और जिन फर्मों ने पाइप के आकारों के लिए एडी करंट टेस्ट और एनईएस मानक से जुडे विचलन का हवाला दिया था, जो एमडीएल को स्वीकार्य नहीं थे, उन्हें 'उत्तरदायी अस्वीकृति होने वाले मानदंड' के अंतर्गत रखा गया था।

उपर्युक्त क्रम में समिति यह भी पाती है कि मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा परियोजना पी15बी के सीयू-एनआई पाइप्स और कॉपर पाइप्स की आपूर्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। चूंकि सभी

बोलीदाताओं, जिनकी बोलियां अधूरी थीं, को निर्धारित समय के भीतर कम रह गए दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी और मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड भी ऐसे बोलीदाताओं में से एक था, बाद में, निर्धारित समय के भीतर 2018-19 की लेखा परीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत कर दिया और सभी योग्यता मानदंडों को पूरा कर लिया तथा उनकी बोली को अर्ह मानने से पहले प्राधिकरण द्वारा इसकी संवीक्षा की गई थी।

निविदा दस्तावेज और बोली प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देते हुए समिति यह भी पाती है कि बोली अस्वीकृति मानदंडों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है जो स्पष्ट अस्वीकरण मानदंड और उत्तरदायी अस्वीकरण योग्य मानदंड हैं तथा खंड 5 (क) और 5 (ख) को संगठन की खरीद नियमावली के दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा दस्तावेज में शामिल किया गया है। 'स्पष्ट अस्वीकरण मानदंड' के अंतर्गत आने वाले पहलू निविदा की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि ई-पोर्टल पर निविदा समय पर दाखिल करना, ईएमडी प्रस्तुत करना, पीपीपी मेक इन इंडिया के प्रावधानों को स्वीकार करना और वंचित बोलीदाताओं से निपटना आदि, जो पूर्ण अनुपालन के लिए लागू होते हैं और जिन्हें अपरक्राम्य माना जाता है। स्पष्ट अस्वीकरण मानदंडों से संबंधित निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने वाली बोलियों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकरण मानदंडों के लिए उत्तरदायी' के अंतर्गत आने वाले पहलू निविदा की शर्तों की सूचना, अनुसरण, अनुपालन के लिए हैं जिनके लिए बोलीदाताओं को उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पूरी खरीद प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाने के लिए बोलियों को स्वीकार करने हेतु संतुलन के उपाय किए जा सकें। 'अस्वीकरण योग्य मानदंडों के लिए उत्तरदायी' के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन न करने पर सीधे अस्वीकृति के परिणामस्वरूप खरीद गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर हो सकती है और इसे प्रतिबंधात्मक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 'अस्वीकरण मानदंडों के लिए उत्तरदायी' के अंतर्गत आने वाले पहलू निविदा की शर्तों की उन सूचना, अनुसरण, अनुपालन के लिए हैं जिनके लिए बोलीदाताओं को उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पूरी खरीद प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाने के लिए बोलियों को स्वीकार करने हेतु संतुलन के उपाय किए जा सकें। 'अस्वीकरण योग्य मानदंडों के लिए उत्तरदायी' के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन न

करने पर सीधे अस्वीकृति के परिणामस्वरूप खरीद गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर हो सकती है और इसे प्रतिबंधात्मक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, निविदा दस्तावेज में इन बाध्यकारी शर्तों के संबंध में बोलीदाताओं को पहले से सूचित किया जाता है और उन्हें तकनीकी मूल्यांकन के दौरान मूल्य बोलियां खोलने से पहले तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से समानता प्रदान करने हेतु इष्टतम अवसर दिया जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि बोली अस्वीकरण मानदंडों को दो भागों, अर्थात् 'स्पष्ट अस्वीकरण मानदंड' और 'अस्वीकरण योग्य मानदंड', में विभाजित किया गया है, समिति का सुविचारित मत है कि बोली अस्वीकृति मानदंडों के संबंध में निविदा दस्तावेज में स्पष्ट अस्वीकरण मानदंड और अस्वीकरण योग्य मानदंडों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए ताकि बोलीदाताओं के बीच गलत व्याख्या या अस्पष्टता की स्थिति से बचा जा सके। समिति का यह भी मानना है कि खंड 5 (क) और 5 (ख) का मसौदा सरलता पूर्वक तैयार किया गया है, जिसका अर्थ निविदा प्रक्रिया में भाग ले रही फर्मों को अलग-अलग प्रतीत होता है। किसी विशिष्ट फर्म को ठेका देने के गतिरोध को दूर करने, और उसके बाद निविदा को रद्द करने जो माजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जैसे प्रमुख रक्षा संबंधी संगठन के लिए कोई स्वागत योग्य कदम नहीं है, के उद्देश्य से समिति यह सिफारिश करती है कि खरीद नियमावली को इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि वह समझने योग्य हो और उसमें ऐसी तकनीकी शब्दावली शामिल नहीं होनी चाहिए जिसका अन्य तरीके से सरल रूप में उल्लेख किया जा सके ताकि पूरी निविदा प्रक्रिया निर्बाध और बोली लगाने वालों के लिए अधिक अनुकूल हो।

यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित संपूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समिति रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से सिफारिश करती है कि पूरी निविदा प्रक्रिया प्रणाली को पारदर्शी, स्वत:पूर्ण और परेशानी मुक्त बनाएं जिससे बोली लगाने वाली फर्में निविदा के अंतर्निहित नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संगठनों/सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों के निविदा प्रक्रिया संबंधी अध्याय में उल्लिखित समस्त अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक

समान निविदा प्रक्रिया प्रणाली विकसित करने की संभावना की तलाश करे। इस संबंध में आगे की गई परिणामी कार्रवाई की जानकारी को यह प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को दी जाए।"

5. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपनी की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत निवेदन किया है :-

"यह सूचित किया जाता है कि एमडीएल द्वारा उपर्युक्त निविदा का निरस्तीकरण उनकी वर्तमान क्रय प्रक्रिया के अनुसार किया गया था, जिसमें यदि एक निविदा बोलीकर्ता बोली को वापस लेता है/परिवर्तन/संशोधन/विकृति अथवा अनादर करता है तो निविदा को निरस्त किया जा सकता है । मैसर्स मेहता ट्यूब लि. ने एमडीएल को दिनांक 13.07.2020 को अर्थात एमडीएल में श्री योगेश सारदा के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, उपर्युक्त आर्डर को स्वीकृत/पूरा कर पाने में अपनी असमर्थता की सूचना दी थी । अतः उक्त निविदा के निरस्तीकरण का श्री योगेश सारदा द्वारा प्रस्तुत याचिका से कोई सम्बंध नहीं है । आगे यह सूचित किया जाता है कि बोली के निरस्तीकरण के मानक एमडीएल द्वारा पृथक रूप से निविदा के खंड 5(क) और 5(ख) में निर्दिष्ट किए गए थे, जिसमें निरस्तीकरण के सभी निबंधन शामिल हैं।

खरीद नियमावली को समझने योग्य तरीके से तैयार किये जाने और उसमें तकनीकी शब्दावली शामिल न किये जाने संबंधी समिति की सिफारिशों को एमडीएल द्वारा अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। 'स्पष्ट अस्वीकरण मानदंड' और 'अस्वीकरण योग्य मानदंडों' के बीच अंतर तथा इन मानदंडों के अंतर्गत आने वाली बोलियों से निपटने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का निविदाओं में और अधिक विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाएगा।

पारदर्शी, स्वतः संपूर्ण, बाधा मुक्त और एक रूप निविदा प्रक्रिया प्रणाली के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि माल की अधिप्राप्ति के लिए एक मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) मसौदा को वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग द्वारा परिचालित किया गया है और एसबीडी को अंतिम रूप दिए जाने पर इसे डीपीएसयू में क्रियान्वित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.11.2020 के का.ज्ञा.सं. एफ. 9/4/2020 पीपीडी के तहत जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार बोलीकर्ताओं से एक 'बोली सुरक्षा घोषणापत्र' लिया जा रहा है जो कि क्रेता को बोली वैधता की अवधि के दौरान निविदा वापस लेने/परिवर्तित/संशोधित, विकृत अथवा अवमूल्यन किए जाने की दशा में बोलीदाताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए बोली से वंचित करने की शक्ति प्रदान करता है। एमडीएल ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों को पहले ही लागू कर दिया है।"

6. प्रतिवेदन के पैरा 24 से 26 में ,समिति ने निम्नवत टिप्पणी /सिफारिश की थी :-

"यदि सफल बोलीदाता अनुबंध की शर्तों से विपथित हो जाता है तो निविदा दस्तावेज में शास्ति खंड को शामिल किया जाएगा

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) द्वारा दी गई जानकारी से समिति नोट करती है कि माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के पास स्थापित खरीद प्रणाली तथा नियमावली दिशानिर्देशों के अनुसार ठेकों और निविदाओं की निगरानी, खरीद और ठेके दिए जाने से संबंधित शिकायतों के निवारण, नियंत्रण और संतुलन के लिए सशक्त प्रणाली मौजूद है। समिति यह भी नोट करती है कि पारदर्शिता में सुधार करने और अस्पष्टता को कम करने के लिए समय-समय पर खरीद प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

इसके बावजूद, समिति यह नोट करके निराश है कि पूरी निविदा प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 17 अगस्त 2020 को उक्त निविदा को इस आधार पर समाप्त करना पडा कि एल1 बोलीदाता, अर्थात मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड ने 13 जुलाई, 2020 को ईमेल के माध्यम से कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण का हवाला देते हुए उद्धृत मूल्य पर आदेश को स्वीकार करने/निष्पादित करने में असमर्थता की सूचना दी थी जिसके परिणामस्वरूप एक ओर संसाधनों की बर्बादी हुई और वहीं दूसरी ओर परियोजना पी15बी के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए पुनः निविदा देने की कठिन प्रक्रिया से नए सिरे से गुजरना पड़ा है। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह इस आशय के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी तथ्यों पर

गौर करे कि यदि याचिका समिति ने विस्तृत जांच के लिए अभ्यावेदन को तत्काल नहीं लिया होता, तो माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के प्राधिकारियों ने इसे मैसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को दे दिया होता।

निविदा प्राप्त किसी भी फर्म के निविदा प्रक्रिया से हट जाने के पहलू पर समिति का सुविचारित मत है कि यदि सफल बोलीदाता ठेका दिए जाने के बाद सहमत शर्तों से विपथित होता है, तो इससे अपेक्षित कार्य/परियोजनाओं को पूरा होने में परिहार्य विलंब के अतिरिक्त सरकारी तंत्र के संसाधनों की बर्बादी होती है और सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे रणनीतिक महत्व वाले संगठन में भागीदारी के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले गैर-निरपेक्ष बोलीदाताओं या ऐसे बोलीदाताओं, जो बोली की प्रक्रिया में भाग लेने मात्र के लिए भाग लेते हैं, पर रोक लगाने के लिए समिति यह सिफारिश करती हैकि निविदा दस्तावेज में कठोर दंडात्मक खंड होना चाहिए जिसका रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ईमानदारी से पालन किए जाए । समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए जाने की तिथि के अंतर्गत इस संबंध में उठाए गए / प्रस्तावित कदमों से उसे अवगत कराया जाए। "

7. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत निवेदन किया है :-

"यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स मेहता ट्यूब्स लि. ने एमडीएल को दिनांक 13.07.2020 को अर्थात एमडीएल में श्री योगेश सारदा के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उपर्युक्त आर्डर को स्वीकृत/पूरा कर पाने में अपनी असमर्थता की औपचारिक रूप से सूचना दी थी । अतः उक्त निविदा के निरस्तीकरण का श्री योगेश सारदा द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त याचिका से कोई संबंध नहीं है । तांबा और निकेल के मूल्य परिवर्तनशील होते हैं और मैसर्स मेहता ट्यूब्स उद्धृत मूल्यों को बनाए रख पाने में असमर्थ थे । अतः अर्जन प्रक्रिया से पीछ्र हट गए।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.11.2020 के का.ज्ञा.सं. एफ. 9/4/2020 पीपीडी के तहत जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार बोलीकर्ताओं से एक 'बोली सुरक्षा घोषणापत्र' लिया जा रहा है जो कि क्रेता को बोली वैधता की अवधि के दौरान

निविदा वापस लेने/परिवर्तित/संशोधित, विकृत अथवा अवमूल्यन किए जाने की दशा में बोलीदाताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए बोली से वंचित करने की शक्ति प्रदान करता है । एमडीएल ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों को पहले ही लागू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, एमडीएल ने मैसर्स मेहता ट्यूब्स लि. के विरुद्ध क्रय नियम पुस्तिका के अनुसार कार्रवाई आरंभ की है और फर्म को 3 वर्ष की अवधि के लिए बोली से वंचित कर दिया गया है।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निविदा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार

8. याचिका समिति, लोकसभा ने श्री योगेश सारदा के अभ्यावेदन की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अपात्र बोलीदाता अर्थात् मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर विचार करने और प्रोजेक्ट पी15बी के क्यू-नी पाइप्स और कॉपर पाइप्स की खरीद के लिए अनुबंध (एस) और निविदा (एस) को सौंपने का आरोप लगाते हुए निविदा दस्तावेज और बोली प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जांच की थी और अन्य बातों के साथ साथ पाया था कि 'बोली अस्वीकृति मानदंड', जिसे मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात खंड 5 (ए) और 5 (बी) के तहत क्रमशः 'स्पष्ट अस्वीकृति मानदंड' और 'उत्तरदायी अस्वीकृति मानदंड' को संगठन के खरीद मैनुअल के दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा दस्तावेज में शामिल किया गया था। तथापि समिति ने, इस बात को रेखांकित किया था कि निविदा दस्तावेज में बोली अस्वीकृति मानदंडों के संबंध में 'स्पष्ट अस्वीकृति मानदंड' और 'उत्तरदायी अस्वीकृति मानदंडों' के संदर्भ में अंतर स्पष्ट होना चाहिए ताकि निविदा/बोली प्रक्रिया में भाग ले रहे बोलीदाताओं/फर्मों के बीच किसी गलत व्याख्या या अस्पष्टता से बचा जा सके। किसी विशिष्ट फर्म को ठेका देने की संभावना को समाप्त करने और उसके बाद निविदा को रद्द करने के लिए जो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जैसे प्रमुख रक्षा संबंधी संगठन के लिए स्वागत योग्य कदम नहीं है। समिति ने सिफारिश की थी कि खरीद मैनुअल को स्पष्ट तरीके से तैयार किया जाना चाहिए और इसमें ऐसी तकनीकी शब्दावली नहीं होनी चाहिए जिसका अन्यथा सरल तरीके से उल्लेख किया जा सके ताकि पूरी निविदा प्रक्रिया परेशानी मुक्त हो और बोलीदाता के अधिक अनुकूल हो।

9. समिति ने यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियमों में यथा वर्णित पूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से भी सिफारिश की थी कि वह पूरी निविदा प्रक्रिया प्रणाली को पारदर्शी, स्वत:पूर्ण और परेशानी मुक्त बनाए जिससे बोली लगाने वाली फर्में निविदा के अंतर्निहित नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगी। समिति ने मंत्रालय से आगे सिफारिश कि थी कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों की निविदा प्रक्रिया के अध्याय में वर्णित सभी

शर्तों को ध्यान में रखते हुए एक समान निविदा प्रक्रिया प्रणाली विकसित करने के तौर-तरीकों का पता लगाए।

10. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अनुपालन के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह निवेदन किया है कि इन मानदंडों के तहत आने वाली बोलियों से निपटने के लिए 'स्पष्ट अस्वीकृति मानदंड' और 'उत्तरदायी अस्वीकृति मानदंड' और इन मानदंडों के तहत आने वाली बोलियों के प्रसंस्करण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बीच अंतर को निविदा (ओं) में और विस्तार से किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने समिति को आगे यह सूचित किया है कि माल की खरीद के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का मसौदा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा ओ.एम सं एफ.9/4/2020.पीपीडी दिनांक 12.11.2020के माध्यम से परिचालित किया गया है। और इसे एसबीडी को अंतिम रूप देने पर सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में लागू किया जाएगा।

11. समिति यह जानकर प्रसन्न्न है कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में निविदा प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है और समिति को यह भी आश्वासन दिया है कि इस संबंध में उनकी सिफारिशों का पालन एमडीएल द्वारा भविष्य की सभी निविदाएं जारी करते हुए किया जाएगा। तथापि, समिति रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से आग्रह करती है कि वह सामान्य वित्तीय नियमों, जिनका रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में सभी संगठन/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निरपवाद रूप से पालन किया जाता है, में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार एक समान, पारदर्शी और बोलीदाता अनुकूल निविदा प्रक्रिया प्रणाली विकसित करके प्रक्रिया विधि तैयार करे। समिति इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित कदमों से अवगत होना चाहेगी। समिति वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यथा परिचालित का ज्ञा सं एफ 9/4/2020.पीपीडी दिनांक 12.11.2020, वस्तुओं की खरीद के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के समावेश की स्थिति के बारे में भी जानना चाहेगी।

<u>निविदा दस्तावेज(जों) में शास्ति खंड को शामिल करना</u>

12. समिति ने, उस फर्म जिसे निविदा दी गई थी, के पीछे हटने के पहलू पर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं कि यदि सफल बोलीदाता/फर्म अनुबंध प्रदान करने के बाद सहमत शर्तों से विपथित हो जाती है तो इससे सरकारी तंत्र के संसाधनों की बर्बादी होगी और अपेक्षित कार्य/परियोजनाओं को पूरा करने में परिहार्य विलंब के अलावा राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व के संगठन में उसे बोलीदाताओं जो गंभीर नहीं है या ऐसे बोलीदाताओं जो मात्र भागीदारी के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेते रहे हैं उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसी सभी फर्मों के लिए निविदा दस्तावेज में ही कठोर दंडात्मक खंड होना चाहिए, जिसका रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अधीन सभी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अत्यंत सतर्कता से पालन किया जाना चाहिए।

13. उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा का ज्ञा सं एफ.9/4/2020 पीपीडी दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोलीदाताओं से एक 'बोली सुरक्षा घोषणा' प्राप्त की जा रही है जो क्रेता को बोली वैधता की अवधि के दौरान निविदा से हटने/परिवर्तन/संशोधन या उसे कमजोर या अनादरित करने के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए बोली लगाने से हटाने का अधिकार देती है और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने पहले ही इन दिशा-निर्देशों को लागू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) ने यह भी कहा है कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने क्रय नियमावली के अनुसार मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और फर्म को 3 साल की अवधि के लिए बोली लगाने से रोक दिया गया है।

14. समिति बोलीदाता यानी मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को छोड़ने के समर्थन में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के दिए तर्क से संतुष्ट नहीं है, कि बोलीदाता कॉपर और निकल की अस्थिर कीमत (एस) के आधार पर उद्धृत मूल्य (एस) को बनाए रखने में असमर्थ था और इस प्रकार अधिग्रहण प्रक्रिया से हट गया था। इस संबंध में समिति का मानना है कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जारी ऐसी निविदाओं में फर्म अर्थात् मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पहली बार बोलीदाता नहीं था और इसलिए छोड़ने वाली फर्म को प्रतिस्पर्धी बोलियों में भाग लेने से पहले उन विभिन्न बाजार चालित परिवर्तनीय कारकों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे लागत बढ़ सकती है विशेष रूप से जब ऐसे प्रमुख रक्षा

संगठन द्वारा निविदा जारी की जाती है। फिर भी समिति मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा क्रय नियमावली में निर्धारित शर्तों के अनुसार मेसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड के खिलाफ तीन साल की अवधि के लिए बोली लगाने से रोक लगाने की कार्रवाई की सराहना करती है।

15. तथापि, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बोली सुरक्षा घोषणा के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया है जिसे बोलीदाताओं से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ क्रेता को अधिकार देता है कि यदि बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान निविदा से वापस हटते/उसमें परिवर्तन/संशोधन करते हैं उसे कमजोर करते या अनादर करते हैं, तो वह बोलीदाताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए बोली लगाने से वंचित कर सकेगा। समिति को भरोसा है कि रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) अपने नियंत्रणाधीन सभी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

नई दिल्ली;
<u>*22 दिसंबर, 2021*</u>
1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति